न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 188/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुरखाराम पुत्र नारणाराम 2. हरचन्दराम पुत्र नारणाराम 3. कलाराम पुत्र नारणाराम 4. तीजा पत्नी नारणाराम (जाति जाट निवासी पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर)		1. मूलाराम पुत्र बींजाराम 2. खातुदेवी पत्नी बींजाराम 3. पूनमचंद पुत्र चेतन (जाति मेघवाल, निवासी पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 4. केवाराम पुत्र आदूराम 5. लूणाराम पुत्र आदूराम (जाति गुरू, निवासी तमाची की गफन, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 6. दलाराम पुत्र विरमाराम 7. रामाराम पुत्र जगमालराम 8. जोगाराम पुत्र जगमालराम 9. पूर्णाराम पुत्र हरजीराम 10. विरदाराम पुत्र हरजीराम 11. चन्द्रा पुत्री नारणाराम 12. केसी पत्नी लिछमाराम (जाति जाट, निवासी ग्राम पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 13. हनीफ पुत्र जगमाल खां 14. एहदी पुत्र अजीम (जाति मुसलमान, निवासी तमाची की गफन, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 15. तहसीलदार चौहटन, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी चौहटन राजस्व आवेदन संख्या 300/2017 अंतर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट दिनांक 04.04.2018

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलांट्स
2. श्री महेश मेहता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 15
4. रेस्पो0 सं0 4 से 14 बावजूद सूचना व नोटिस तामिल के अनुपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 27/05/2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा अंतर्गत धारा 111 व 128 आरएलआर, एक्ट में राजस्व आवेदन संख्या 300/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील चौहटन के ग्राम पोशाल स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 468/11 रकबा 30 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी करवाने हेतु विप्रार्थीगण–केवाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन को दोनो पक्षों की उपस्थिति में ख0नं0 468 के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स व अन्य प्रत्यर्थीगण, प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 की खातेदारी खसरा नं 468/11 के पडौसी खातेदारान है। जिनमें सेढो को लेकर विवाद रहता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण को जारी नोटिस विधिवत तामिल नही होने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। मूल खसरा नं0 11 में तरमीम संबंधी विवाद होने के कारण खसरा नं0 468/11 की तरमीम व पत्थरगढी नही की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश बिना तरमीम के पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 ग्राम पोशाल स्थित खसरा नं0 468/11 के पडौसी खसरान के सेढो पर कोई पुरानी कच्ची या पक्की माठे या सीमा चिन्ह आदि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अंकित नही होने से खातेदारों में काश्त को लेकर विवाद रहता है। इस कारण प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 ने स्वयं की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। मौका फर्द दिनांक 12.5.18 में संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार उक्त खसरान में पडौसी खातेदारान का कब्जा व विवाद होने से नक्शें उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्के नेखम कायम नही किए गये। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश बिना तरमीम के पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। जबकि ग्राम पोशाल स्थित खसरा नं0 468/11 की तरमीम दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन सं0 337/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में एक अन्य राजस्व अपील सं0 189/2018 वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की हुई है। इन दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गई तथा बाद सुनवाई उक्त अपील सं0 189/2018 आंशिक स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह अपील वादग्रस्त खसरान की बाद तरमीम, नेखमबंदी हेतु विधिसम्मत निर्णय पारित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाना न्याय संगत प्रतीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार कर तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन सं0 300/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त खसरान की बाद तरमीम, दोनो पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नेखमबंदी हेतु विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर